41–(08)–81–2019

पटना में दिनांक–09 जुलाई, 2019 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1. राज्य पुलिस मुख्यालय स्थित आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाईन) बिहार, पटना हेतु अपर पुलिस अधीक्षक /वरीय पुलिस उपाधीक्षक–01, पुलिस उपाधीक्षक–04, पुलिस निरीक्षक–09, पुलिस अवर निरीक्षक–09, सहायक अवर निरीक्षक–09, सिपाही–72, स्वीपर–01 एवं रसोईया–03 पदों सहित कुल 108 पदों के सृजन के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

2. सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु पुलिस उपाधीक्षक–2, चिकित्सा पदाधिकारी–1, पुलिस निरीक्षक–19, पुलिस अवर निरीक्षक–19, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक–14, हवलदार–85 एवं सिपाही–140 पदों सहित कुल 280 पदों के सृजन के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

3. नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित बिहार राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मियों की पूर्व सेवा की गणना के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

4. राज्य सरकार द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित करने हेतु पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड–III के परिशिष्ट–72 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त को वित्तीय उन्नयन हेतु पूर्व की सेवा की गणना के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

7. समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) के सुदृढ़ीकरण हेतु संवर्ग संरचना (पुनर्गठन, नवसृजन एवं प्रत्यर्पण) हेतु पूर्व से सृजित परन्तु अव्यवहृत 20 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 16 नये पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8. नालन्दा जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में विश्व बैंक सम्पोषित नीर निर्मल परियोजना के तहत पूर्व में स्वीकृत सिलाव बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत "हर घर नल का जल" से पूर्ण रूप से आच्छादित करने हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु पूर्व से 61.26 करोड़ की राशि पर स्वीकृत योजना जिसमें जलापूर्ति मद में 58.12 करोड़ रू० तथा स्वच्छता मद में 3.14 करोड़ रू० है, में जलापूर्ति मद की राशि को पुनरीक्षण कर एवं स्वच्छता मद को विलोपित करते हुए इस योजना के लिए कुल 77.91 करोड़ रू० (Design Build Cost 67.79 करोड़ + Operation Maintenance Cost 10.12 करोड़) की राशि पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति।

8. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

9. अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रय को संशोधित करने के लिए बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम 36 (ii) को संशोधित करने के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

10. केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पुलिस महानिदेशक के एक गैर–संवर्गीय पद के सृजन के संबंध में।

10. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

11. प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण, 2019–20 बिहार विधान मंडल के समक्ष एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2019 बिहार विधान सभा के समक्ष उपस्थापित करने की स्वीकृति के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवाशर्त के संदर्भ में गठित "बिहार राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त), नियमावली–2014" में संशोधन। — 12. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

13. नवादा जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, नवादा में विश्व बैंक सम्पोषित नीर निर्मल परियोजना के तहत पूर्व में स्वीकृत रजौली बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत "हर घर नल का जल" से पूर्ण रूप से आच्छादित करने हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु पूर्व से 84.82 करोड़ की राशि पर स्वीकृत योजना, जिसमें जलापूर्ति मद में 78.02 करोड़ रू० तथा स्वच्छता मद में 6.80 करोड़ रू० है, में जलापूर्ति मद की राशि को पुनरीक्षण कर एवं स्वच्छता मद को विलोपित करते हुए इस योजना के लिए कुल 109.98 करोड़ रू० (एक सौ नौ करोड़ अनठानवें लाख मात्र) (Design Build Cost 97.59 करोड़ + Operation Maintenance Cost 12.39 करोड़) की राशि पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति। — 13. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत भोजपुर जिला के आर्सेनिक प्रभावित नेकनाम टोला एवं अन्य निकटवर्ती 70 ग्रामों/बसावटों में सतही जल का उपयोग करते हुए नेकनाम टोला बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना को निरस्त कर वार्डवार योजना के आधार पर कार्यान्वयन की स्वीकृति। — 14. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

15. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन करने के संबंध में। — 15. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा यूनिट (PICU) के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु कुल रूपये 62,00,00,000/– (बासठ करोड़ रूपये) के योजनागत व्यय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. सी०डब्लू०जे०सी० सं० 17873/2009 में दिनांक 17.07.13 को पारित न्यायादेश, एल०पी०ए० सं० 1582/2014 में दिनांक 22.03.18 को पारित न्यायादेश एवं एम०जे०सी० सं० 2339/2014 में दिनांक 09.05.19 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा० नन्द किशोर नवल तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ट नियंत्रण इकाई गया को बर्खास्त करने संबंधी संकल्प सं० 1546(9) दिनांक 22.12.08 को निरस्त करते हुए सेवा पुर्नस्थापित करने के संबंध में।

17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल थावे के मौजा–थावे, थाना सं०–121, खाता नं०–03, खेसरा नं०–31 में कुल रकबा–31.20 (एकतीस एकड़ बीस डिसमिल) गैरमजरूआ मालिक किस्म–जंगल भूमि इको पार्क के निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

18. स्वीकृत।

कृषि विभाग

19. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 6300 लाख रूपये (तिरसठ करोड़ रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति।

19. स्वीकृत।